राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17366/2024

लक्षिता कुमारी पाटीदार पत्नी श्री अरविंद पाटीदार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट - चाडोली, तहसील - सीमलवाड़ा खरगदा, जिला - डूंगरपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जोन उदयपुर, राजस्थान।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उदयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादिगण

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री वी.एल.एस. राजपुरोहित
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री तनुज जैन श्री मुकेश दवे, ए.जी.सी

माननीय श्रीमान. जस्टिस अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

09/12/2024

1. याचिका कर्ता ने प्रति वादियों को निर्देश देने की मांग की है कि वे उसे सही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें और 10% बोनस अंक देने के बाद उसका परिणाम नए सिरे से घोषित करें और

(30/05/2025 को सुबह 08:35:21 बजे डाउनलोड किया गया)

यदि याचिका कर्ता मेरिट सूची में आती है, तो उसे सहायक नर्स और दाइयों के पद पर नियुक्ति प्रदान करें।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 प्रतिवादियों ने सहायक नर्स एवं दाइयों (ए.एन.एम) के पद के लिए दिनांक 19.05.2023 (अनुलग्न 5) की अधिसूचना जारी की और ए.एन.एम के पद पर पूर्व में कार्य करने के अनुभव के आधार पर बोनस अंक भी दिए जाने थे। याचिका कर्ता ने पात्र होने के कारण अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

2.2 प्रतिवादियों ने याचिका कर्ता को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया, जिसके अनुसार उसने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर (प्रति वादियों संख्या 6) द्वारा जारी दिनांक 06.06.2023 (अनुलग्न 4) का अनुभव प्रमाण पत्र सहित अपने सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। हालाँकि, याचिका कर्ता का नाम दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्न 8) की अनंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं था। उसने अपना नाम मेरिट सूची में शामिल करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया क्योंकि उक्त सूची में कम योग्य उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। उसने दिनांक 10.10.2023 (अनुलग्न 9) का एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया।

2.3 याचिका कर्ता का उपरोक्त अभ्यावेदन दिनांक 02.09.2024 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार उसके पास एक वर्ष का अपेक्षित अनुभव नहीं था। इसलिए, याचिका कर्ता बोनस अंक पाने की हकदार नहीं थी क्योंकि प्रमाण पत्र में उल्लिखित कार्य तिथि 01.05.2018 से 21.02.2019 है। इसलिए, यह याचिका।

3. याचिका कर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिका कर्ता को कार्य प्रमाण पत्र जारी करते समय सक्षम प्राधिकारी ने सही उल्लेख किया है कि उसने 385 दिन काम किया है, यानी

(30/05/2025 को सुबह 08:35:21 बजे डाउनलोड किया गया)

एक वर्ष से अधिक, जो उसे 10% बोनस अंक पाने का हकदार बनाता है। हालांकि, टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण, जब प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2023 (अनुलग्न 4) जारी किया गया था, तो 01.02.2018 के बजाय, उसमें गलत तारीख 01.05.2018 बताई गई है, जो काम की कुल अवधि को एक वर्ष से थोड़ा कम बनाती है। जिसके कारण याचिका कर्ता को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया।

4. अदालत के एक प्रश्न पर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील, जो याचिका की प्रति की अग्रिम सेवा पर उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि याचिका कर्ता 10% बोनस अंकों की हकदार होती

5. उपरोक्त विवाद के संदर्भ में, प्रतिवादियों द्वारा पैरा संख्या 8 में दिए गए उत्तर में अपनाई गई स्पष्ट राय इस प्रकार है:-

> *8. वर्तमान रिट याचिका में, याचिका कर्ता ने यह दावा किया है कि उसे गलत अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके लिए प्रति वादियों विभाग उत्तरदायी है। <u>विनम्र निवेदन है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना याचिका कर्ता का कर्तव्य है और आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे प्रस्तुत करना भी याचिका कर्ता का कर्तव्य है।</u> वर्तमान मामले में, याचिका कर्ता को अनुभव प्रमाण पत्र जारी होने पर ही उसमें त्रुटि सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए था। हालाँकि, वर्तमान याचिका कर्ता ने अनुभव प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा, दिनांक 28.06.2023 के संचार के माध्यम से प्रति वादियों विभाग ने 2023 की भर्ती में आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को 29.06.2023 से 07.07.2023 के बीच अपने आवेदन पत्र में सुधार कराने के लिए आमंत्रित किया*

(30/05/2025 को सुबह 08:35:21 बजे डाउनलोड किया गया)

था, लेकिन वर्तमान याचिका कर्ता ने उक्त अवधि के दौरान प्रति वादियों विभाग को आवेदन/सूचित नहीं किया और अपने आवेदन पत्र में सुधार नहीं किया। ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र याचिका कर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के साथ प्रस्तुत आवेदन को 2023 की भर्ती के अनुसरण में चयन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)"

6. उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रति वादियों संख्या 6, सीएम और एच.ओ, यानी एक राज्य पदाधिकारी है, जिसने कार्य अनुभव की तारीख को गलत तरीके से उल्लेख करने की गलती की है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसके लिए याचिका कर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। स्पष्ट रूप से, मामला उल्टा है। प्रति वादियों गलत प्रमाणपत्र जारी करके अपनी गलती का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और याचिका कर्ता को इधर-उधर भटका रहे हैं। इसलिए, उनके तर्क को केवल खारिज करने के लिए ही नोट किया जा रहा है।

7. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। सक्षम प्राधिकारी (मुख्यमंत्री एवं मुख्य कार्यालय) द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में कुल अवधि 385 दिन बताई गई है, इसलिए आदेश दिया जाता है कि इसे 01.02.2018 से प्रभावी माना जाए। तदनुसार, याचिका कर्ता की योग्यता आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर पुनः निर्धारित की जाए। यदि याचिका कर्ता अन्यथा उपयुक्त और योग्य पाई जाती है, तो उसे नियुक्ति पत्र जारी करके उसके कार्य-निष्पादन को उचित मान्यता दी जाए।

8. जिस अवधि के लिए वह सेवा से बाहर रही, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर, वह वेतन पाने की हकदार नहीं होगी, तथापि, अन्य सभी काल्पनिक लाभ उसे उसके समकक्षों के

(30/05/2025 को सुबह 08:35:21 बजे डाउनलोड किया गया)

समान दिए जाएंगे, जिनके साथ उसने प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन उसकी किसी गलती के कारण उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका।

9. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे

29-एस.के.एम/-

रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है या नहीं : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(30/05/2025 को सुबह 08:35:21 बजे डाउनलोड किया गया)